

द. सार्वजनिक सुविधाएँ और हमारा विद्यालय

बताओ तो !



- (१) हमारे घर और घर के बाहर मिलने वाली सार्वजनिक सुविधाएँ कौन-सी हैं ?
- (२) इनमें से तुम किन-किन सुविधाओं का उपयोग करते हो ?

हम सभी लोग सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का उपयोग करते रहते हैं। इनमें जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा परिवहन कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ हैं। ये सेवाएँ सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक सेवाओं, इन्हें देने वाली संस्थाओं तथा हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। हमारा विद्यालय सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है।

करके देखो



निम्नलिखित में से जो सुविधाएँ तुम्हारे विद्यालय में उपलब्ध हैं; उनके आगे ✓ यह चिह्न लगाओ :


| | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|
| पर्याप्त वर्गकक्ष | | वाचनालय | |
| लड़कियों के लिए शौचालय | | विद्युत आपूर्ति | |
| लड़कों के लिए शौचालय | | प्रयोगशाला | |
| पीने का पानी | | अध्ययन कोना | |
| रैंप | | संगणक कक्ष | |
| क्रीडांगण | | चिकित्सा सेवा | |
| शालेय पोषण आहार योजना | | समुपदेशन केंद्र | |
| विद्यालय का अहाता | | बीमा योजना | |

विद्यालय में हमारे लिए अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार बाहर के सार्वजनिक जीवन में भी हमारे लिए सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। बस और रेल परिवहन की सार्वजनिक सुविधाएँ हैं। इनके अलावा हम डाक सेवा, दूरभाष, दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, बाग-बगीचे तथा तैरने के तालाब जैसी अनेक सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते रहते हैं। हमें इन सुविधाओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।

अपना विद्यालय अर्थात् अपने घर के बाहर का संसार। हमें जिस प्रकार अपना घर अच्छा लगता है, उसी प्रकार विद्यालय भी अच्छा लगता है। प्रत्येक विद्यालय की एक स्वतंत्र पहचान होती है। अपने विद्यालय की विशेषताओं का पता लगाओ और उसका एक भित्तिपत्र तैयार करो।

भित्तिपत्र का नमूना

| | |
|----------------------|--|
| विद्यालय का नाम | |
| स्थापना वर्ष | |
| संस्थापक | |
| घोष वाक्य | |
| बोध चिह्न | |
| विद्यार्थी संख्या | |
| वर्गकक्षों की संख्या | |
| गणवेश का रंग | |
| उल्लेखनीय कार्य | |
| प्राप्त पुरस्कार | |



विद्यालय के मैदान में खेलते हुए विद्यार्थी

विद्यालय सबके लिए होता है। विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के-लड़की का अधिकार है। इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। 'शिक्षा का अधिकार' कानून के अनुसार ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को विद्यालय जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। विशेष आवश्यकतावाले लड़के-लड़कियों के लिए अधिकतम आयु की शर्त १४ के स्थान पर १८ वर्ष है।

विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग

हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएँ सहयोग देते हैं। अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, साहित्यकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक तथा उद्योगपति जैसे अनेकों हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं। वर्गकक्षों का निर्माण कराना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला,

खेल सामग्री उपलब्ध कराना आदि रूपों में विद्यालय को समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग प्राप्त होता है। विद्यालय के गठन में समाज का योगदान रहता है।



सामाजिक संस्था के सहयोग से स्थापित पुस्तकालय



समाचारपत्र समूह के सहयोग से स्थापित खगोल विज्ञान केंद्र

पढ़ो और चर्चा करो



स्वच्छता दूत

विद्यालय भी समाज की प्रगति अथवा किसी समस्या के समाधान में सहायता करता है। गाँव के लोगों को स्वच्छता की आदत पड़े, इस दृष्टि से विद्यालय के कुछ विद्यार्थी स्वच्छता दूत बन गए। उन्होंने विद्यालय की ओर से गाँव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। रास्ते पर मत थूको, कूड़े-करकट का अच्छी तरह निपटारा (उन्मूलन) करो जैसे घोषणा पत्र उन्होंने तैयार किए। बस्तियों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। इन स्वच्छता दूतों ने निवासियों को स्वच्छता का महत्त्व समझाया। गाँव को 'निर्मल गाँव' का पुरस्कार दिलाने में विद्यालय ने इस तरह का सहभाग लिया। गाँव में एकता स्थापित करने में उसकी सहायता मिली।

बताओ तो !



- (१) जिसमें तुम उपस्थित थे, ऐसी एक अभिभावक-शिक्षक सभा में किन विषयों पर चर्चा हुई ?
- (२) इस सभा में कौन-से महत्त्वपूर्ण निर्णय हुए ?
- (३) क्या तुम्हारे सभी मित्रों के अभिभावक सभा में आए थे ?
- (४) यह तुमने किस आधार पर जाना कि तुम्हारे विद्यालय में सभी अभिभावकों का आदर समान रूप से किया जाता है ?

सभी विद्यालयों में शिक्षक-अभिभावक संघ तथा माता-अभिभावक संघ होते हैं। इन संघों के कारण हमारे शिक्षकों और अभिभावकों के बीच



अभिभावकों का स्वागत करते हुए विद्यार्थी

संवाद होता है। इससे विद्यालय के विविध उपक्रमों में अभिभावकों का सहयोग बढ़ता है।

विद्यालय सभी अभिभावकों का समान रूप से सम्मान करता है। विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके बीच आदान-प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है।

करके देखो



एक दिन तुम्हारा संपूर्ण विद्यालय अभिभावकों द्वारा संचालित हो, इस बात के लिए अपने विद्यालय प्रशासन को एक प्रार्थनापत्र लिखो। अनुमति मिलने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित करो। अपना अनुभव स्थानीय समाचारपत्र के बालविभाग के पास भेजो।

इसे सदैव ध्यान में रखो !




शिक्षा प्रत्येक लड़के-लड़की का मौलिक अधिकार है।

अभिभावक का ऐसा भी सहयोग



विद्यार्थियों को संगीत सिखाता हुआ अभिभावक



विद्यार्थियों को कवायद सिखाती हुई अभिभावक

हमने क्या सीखा ?



- हमें सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए ।

- विद्यालय समाज की प्रगति में सहयोग देता है ।
- विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के-लड़की का अधिकार है ।

स्वाध्याय

१. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :

- हमें सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए ।
- अपने विद्यालय का अर्थ होता है । अपने घर के बाहर का ।
- विद्यालय के गठन में का सहयोग रहता है ।

२. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो :

- महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ कौन-सी हैं ?
- सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है ?
- प्रत्येक लड़के-लड़की को कौन-सा अधिकार प्राप्त है ?

३. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखो :

- हम कौन-कौन-सी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं ?
- विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक तथा माता-अभिभावक संघ क्यों होने चाहिए ?

४. क्या होगा, लिखो :

- यदि लड़के-लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार न दिया जाए, तो ।
- यदि समाज विद्यालय को सहयोग न दे, तो ।
- यदि सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, तो ।

उपक्रम :

अपने विद्यालय को सहयोग देने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करो तथा यह भी लिखो कि उनकी सहायता से तुम्हें कौन-से लाभ प्राप्त हुए हैं।

* * *

